

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या 101/18

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

माधुर मल्ल पुत्र मेधावाम
जाति परेवरी

तहसीलदार कुचामन

वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 17/7/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री माधुर मल्ल पुत्र मेधावाम जाति परेवरी निवासी परेवरी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम परेवरी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 80 में श्री माधुर मल्ल पुत्र मेधावाम जाति परेवरी अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/ आधार कार्ड में सही नाम माधुर मल्ल पुत्र मेधावाम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट संलग्न है। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। वादी के वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम परेवरी तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 80 में खातेदार वादी श्री माधुर मल्ल पुत्र मेधावाम निवासी परेवरी की जगह वादी का सही नाम माधुर मल्ल पुत्र मेधावाम जाति परेवरी निवासी परेवरी दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/7/18 को सरे आम कैम्प कुचामन में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)